संख्या–सा–3–1006 / दस–2013–301(9) / 12

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य)अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक : 19 सितम्बर 2013

विषय : राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, तथा राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों जो नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं के अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता आंश्दान की प्रकिया।

महोदय,

नियुक्ति अनुभाग –1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2368 / दो–1–2013–4 / (2) / 2008 दिनांक 15.07.2013 के कम में निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या पे.नि. / एन.पी.एस / 2012–13 / 3632 दिनांक 23.05.2013 एवं पत्र संख्या पे.नि. / एन.पी. एस. / 2013–14 / 5103, दिनांक 26.07.2013 द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे वाह्य सेवायोजक जो नयी पेंशन योजना के अधीन एन.एस.डी.एल. में पंजीकृत नहीं है, में प्रतिनियुक्ति पर तैनात राज्य सरकार के अधीन नयी पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओ के एवं राज्य सरकार के अधिकारी / कर्मचारी के अभिदाता अंशदान एवं नियोक्त अंशदान संबंधी विवरण,एन.पी.एस.सी.ए.एन. पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही संबधित जनपद के कोषागारों द्वारा तथा फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही पेंशन निदेशालय द्वारा किये जाने विषयक व्यवस्था लागू की जाये।

2– निदेशक पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i)– अखिल भारतीय सेवाओ अथवा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी का अभिदाता अंशदान संबंधित वाह्य सेवायोजक द्वारा लेखाशीर्ष "8342–अन्य जमा –117 सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना –01 राज्य कर्मचारियों का अंशदान टियर– ।" में चालान के माध्यम से पोषागार से संबद्ध बैंक में जमा कराया जायेगा।

(ii)– संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के मूल वेतन ग्रेड वेतन एवं महँगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता अंशदान लेखाशीर्ष" 8342–अन्य जमा– 117 सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना स्कीम –01 राज्य कर्मचारियोके लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना –02–राज्य सरकार/ सेवायोजक का अंशदान में चालान के माध्यम से कोषगार से संबद्ध बैंक में सबंधित वाह्य सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा।

(iii) संबंधित वाह्य सेवायोजक द्वारा प्रत्येक माह अपने यहाँ तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारयों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध मे उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर, चालानों की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित कोषागार से प्राप्त कर अधिकारी / कर्मचारीवार PRAN अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान संबंधी समेकित विवरण तैयार कर कोषागार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जायेगा कि दिये गये विवरणानुसार एन.पी.एस.सी.ए.एन. पर डाटा अपलोड कर दिया जाये।

(iv) संबंधित कोषागार तद्नुसार एन0पीएस0सी0ए0एन0 पर अपलोड किया जायेगा तथा ऑटो जनरेटेड कन्ट्रोल शीट पेंशन निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

(v) कोषागार द्वारा अपलोड किये गये डाटा के क्रम मे पेंशन निदेशालय द्वारा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के प्रान (PRAN) पर फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की सूचना संबंधित वाह्य सेवायोजक को प्रेषित कर दी जायेगी।

3— राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन ऐसे वाह्य सेवायोजक जो नयी पेंशन योजना के अधीन एन.एस.डी.एल. मे पंजीकृत हैं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी अभिदाता अंशदान की राशि तथा नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधी डाटा अपलोड तथा फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही वाह्य सेवायोजक द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूचना संबधित अधिकारी / कर्मचारी के पैतृक विभाग को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

4— कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या सा—3—1006(1)/दस—2013, तद् दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक, पेशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

2— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

4— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(नील रतन कुमार)

विशेष सचिव।